न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 10 /2020

उनवान

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91
राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0जूणदा

बनाम

श्री लालाराम पुत्र भंवरलाल जाट
निवासी जूणदा

निर्णय

दिनांकः– 17.7.2020

पत्रावली पेश हुयी।प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम जूणदा के आराजी खसरा नंबर 85 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0–03 बीधा भूमि पर पडत कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है।जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका कब्जा/अतिक्रमण खसरा नंबर 85 पर नही है।जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षण निरीक्षण भदूण से करवायी जिसकी जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम जूणदा स्थित खसरा नंबर 85 किस्म गै.मु.रास्ते की भूमि को खसरा नंबर 86 के खातेदार लालाराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जूणदा द्वारा अपने खेत के खसरा नंबर 86 मे मिला रखा है।

इससे स्पष्ट होता है कि लालाराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जूणदा ग्राम जूणदा स्थित खसरा नंबर 85 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0–03 बीधा भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम जूणदा की आराजी खसरा नंबर 85 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0–03 बीधा भूमि पर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.30 का 50 गुणा 15/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

भू.अ.नि./ पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली वाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

तहसीलदार रुपनगढ
तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ (अजमेर)

वर्ष 2020-21 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या 69 पर क्र. 151 की मांग कायमी की गई।
24/8/2020
तहसील राजस्व लेखाकार